पीसीएच–एचए (1) 9/06– मार्गदर्शन– 25411 – 500
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषकः– निदेशक, पंचायती राज
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषितः–

(1) समस्त जिला पंचायत अधिकारी
हिमाचल प्रदेश।

(2) समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–9, दिनांक 18 अक्तुबर, 2013

विषयः– अन्नापत्ति प्रणाम–पत्र जारी करने संबन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विभाग के ध्यान में लाया गया कि विभिन्न पणधारियों (Stackholders) के आवेदनों पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें समय–समय पर सुविधानुसार संबन्धित पणधारियों को अन्नापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर रहे हैं जिनसे अनावश्यक वाद–विवाद अथवा न्यायालय मामले उत्पन्न हो रहे हैं। अतः इस संबन्ध में मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित होने वाले किसी परियोजना, व्यवसाय अथवा संस्थान या कोई अन्य व्यापारिक अथवा जनहित संस्थान खोले जाने वाली प्रस्तावनाओं व संबन्धित योजना को कार्यान्वित करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करें कि ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त ही ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज
हिमाचल प्रदेश।